फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अणसी वगैरह बनाम हेमराज वगैरह

किस्म अपील .225.आर.टी.एक्ट

राजस्व अपील संख्या 49 सन.....2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.07.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2014 बउनवान हेमराज वगैरा बनाम अणसी वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 11.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं स्व. मिरगा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके सरहद मौजा अगडावा, तहसील सांचौर वर्तमान चितलवाना के खसरा नंबर 179 रकबा 1.97 हैक्टेर, खसरा नंबर 180 रकबा 1.60 हैक्टेर, खसरा नंबर 181 रकबा 1.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 182 रकबा 0.68 हैक्टेर, कुल रकबा 5.26 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर विधिवत तरीके से भूमि का बेचान अपीलांटगण को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांटगण अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं स्व. मिरगा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके सरहद मौजा अगडावा, तहसील सांचौर वर्तमान चितलवाना के खसरा नंबर 179 रकबा 1.97 हैक्टेर, खसरा नंबर 180 रकबा 1.60 हैक्टेर, खसरा नंबर 181 रकबा 1.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 182 रकबा 0.68 हैक्टेर, कुल रकबा 5.26 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे हाजा न्यायालय के समक्ष जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रेकडेर्ड खातेदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु को नजरअदांज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अत सहायक कलक्टर सांचौर वर्तमान चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2014 बउनवान हेमराज वगैरा बनाम अणसी वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 11.06.2010 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद एवं मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक लंबित है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल हक–हकूको का निस्तारण मूल वाद एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रार्थना के अन्तर्गत अंतिम निस्तारण के पश्चात निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियों उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक कलक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2014 बउनवान हेमराज वगैरा बनाम अणसी वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली